न्यायालय : श्री आशिष कुमार, न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, दाउदनगर

परिवाद पत्र संख्याः—372 / 2022

विचारण संख्या—3135 / 2025

31.10.2025

परिवादी कमलेश पंडित अनुपस्थित है। अभियुक्तगण 01. अजय कुमार यादव एवं 02. सुरेश पंडित की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा समयावेदन दाखिल किया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन करते है कि उपरोक्त वाद आरोप पूर्व साक्ष्य पर चल रहा है। लेकिन अभियोगी आरोप पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जबकि न्यायालय द्वारा परिवादी को आरोप पूर्व साक्ष्य हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। अतः अभियुक्त को इस वाद से उन्मोचित किया जाय।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि दिनांक 01.03.2023 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 341, 323, 379 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत सम्मन का आदेश पारित किया गया था। न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय दिये जाने के उपरांत परिवादी की ओर से आरोप पूर्व कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी अनुपस्थित है। उक्त वाद 03 वर्ष पुराना है।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि परिवादी को उक्त वाद से संबंधित अभियुक्तों के विरूद्ध कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद के नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 341, 323, 379 / 34 भा0द0वि0 से साक्ष्य के अभाव में धारा 245 दं0पं0सं0 के तहत उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि सभी प्रकियाएँ पूर्ण हो जाने के पश्चात् अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी

दाउदनगर